Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **कोटा में राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड (आर.एस.जी.एल.) का प्रोजेक्ट मैनेजर एवं उसका दलाल 87 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *30 अप्रेल, शनिवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर कोटा ग्रामीण इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये अतुल शुक्ला प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड एवं उसके दलाल विष्णु सैनी (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 87 **हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा ग्रामीण इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा किये गये गैस पाईप लाईन कार्यों के बिल पास करने तथा 42 लाख रुपये की सिक्योरिटी मनी रिलीज करने की एवज में अतुल शुक्ला प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड द्वारा उसके दलाल विष्णु सैनी (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से **1 लाख 37 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, कोटा के **पुलिस अधीक्षक श्री आलोक श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में एसीबी कोटा ग्रामीण इकाई की **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रेरणा शेखावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री विजय सिंह** तथा उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल विष्णु सैनी पुत्र श्री ब्रजमोहन सैनी निवासी के–2, अम्बेड़कर कॉलोनी, कुन्हाड़ी, कोटा को परिवादी से **87 हजार रुपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अतुल शुक्ला पुत्र श्री उमेश कुमार निवासी कनई, गोरखपुर उ.प्र. हाल निवासी कोटा हाल प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड को भी मौके पर गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।